

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापकों (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | नाम व पदस्थापन स्थान | व्याख्याता विषय | अवधि | जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | श्री बलवीर, राउमावि, खुडाला, लूणी, जोधपुर | व्याख्याता जीव विज्ञान | जुलाई 2021 से आगामी आदेश तक | राउमावि, धूंधाणा, लूणी, जोधपुर (व्याख्याता पद के रिक्त पद के विरुद्ध) |
| 2. | भगवाना राम, शहीद श्रवण सिंह शेखावत राउमावि, आंतरी, धोद, सीकर | व्याख्याता रसायन विज्ञान | जुलाई 2021 से आगामी आदेश तक | राउमावि, लोसल छोटी, धोद, सीकर (व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद के विरुद्ध) |

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 22-07-21

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/वेतन-व्यवस्था/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक)।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य,।
5. सम्बन्धित कार्मिक.....।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कार्यालय हाजा, कम्प्युटर अनुभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर